संगीत नाटक अकादेमी
संगीत, नृत्य एवं नाटक की राष्ट्रीय अकादेमी
रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में परिवहन के लिए वातानुकूलित तथा सामान्य, दोनों क़िस्मों की विभिन्न डीएलवाई गाड़ियाँ (स्विफ्ट, डिज़ायर, इंडिका, इंडिगो, इन्नोवा, टेम्पो ट्रैवलर) तथा 18 एवं 32 सीटों वाली बसें (वातानुकूलित तथा सामान्य) उपलब्ध कराने हेतु संगीत नाटक अकादेमी निविदा आमंत्रित करती है। संविदा में किराए की दर 80 किलोमीटर प्रति 8 घंटे तथा 40 किलोमीटर प्रति 4 घंटे तथा अतिरिक्त के आधार पर होनी चाहिए तथा अतिरिक्त किलोमीटर के दर का भी उल्लेख होना चाहिए।

मुहरबंद निविदा के ऊपर बड़े एवं प्रांजल अक्षरों में “वाहन किराया शुल्क” लिखा होना चाहिए और सचिव, संगीत नाटक अकादेमी, रवीन्द्र भवन, 35, फिरोज़शाह रोड, नई दिल्ली को संबोधित होना चाहिए। विज्ञापन के प्रकाशन के तीस दिनों के भीतर अकादेमी कार्यालय में निविदा जमा कराई जा सकती है।

निविदा दस्तावेज़ों का पूरा सेट जिसमें नियम तथा शर्तें, तथा उपकरणों का विशेष विवरण अकादेमी की वेबसाईटः www.sangeetnatak.gov.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। अकादेमी बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को अंशतः या पूर्णतः स्वीकार/अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखती है।

सचिव
संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली

संगीत नाटक अकादेमी
संगीत, नृत्य एवं नाट्य की राष्ट्रीय अकादेमी
रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली

नियम एवं शर्तें

पूर्व अहर्ता सह निविदा सूचना हेतु

भाड़े के वाहन

संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली–संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एक स्वायत्त संस्था, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रस्ताव द्वि लिफाफा प्रणाली अर्थात लिफाफा संख्या-1 : पूर्व अहर्ता सह तकनीकी बोली तथा लिफाफा संख्या-2 : आर्थिक बोली के अन्तर्गत अकादेमी भाड़े के वाहनों के लिए दिल्ली स्थित वेंडरों तथा सेवा प्रदाताओं से पूर्व अहर्ता सह निविदा आमंत्रित करती है। तकनीकी तथा वित्तीय बोलियाँ दो अलग-अलग लिफाफे में रख कर, तथा इन दोनों लिफाफों को पुनश्च एक बड़े लिफाफे में रखकर भेजा जा सकता है।

इच्छुक कम्पनियों/एजेंसियों के पास भाड़े पर गाड़ियाँ उपलब्ध कराने का कम से कम पाँच वर्षों का अनुभव होना चाहिए। इच्छुक कम्पनियों/एजेंसियों को चाहिए कि वे द्वि बोली प्रणाली के अन्तर्गत अपने प्रस्ताव जमा कराएँ, जिसमें निम्नलिखित दस्तावेज़ तथा सूचनाएँ दर्ज हों:

लिफाफा 1 : पूर्व अहर्ता सह तकनीकी बोली
लिफाफे पर इसको बड़े-बड़े और स्पष्ट गाढ़े अक्षरों में लिखना है।

पूर्व-अहर्ता दस्तावेज़ः

1. पैन नंबर की एक फोटो प्रति।
2. डब्ल्यूसीटी, वीएटी, ईएसआई, पीएफ पंजीयन, सेवाकर पंजीयन आदि का प्रमाण।
3. फ़र्म की विस्तृत संरचना जिसमें निदेशक / भागीदार / प्रोपराइटर के साथ ही तकनीकी कर्मचारियों आदि का पूरा विवरण हो।
4. पिछले 3 साल अर्थात 2013-14, 2014-15 और 2015-16 का ऑडिट बैलेंस शीट।
5. इसी प्रकृति की कम-से-कम तीन परियोजनाओं का विवरण, जिसको आपने अंतिम रूप दिया हो, तथा जिनमें से प्रत्येक का न्यूनतम बिल कम-से-कम 10,00,000/- (दस लाख रूपये मात्र) रूपये रहा हो। मार्च 2016 तक, पिछले तीन वर्षों में आपकी कम्पनी/फर्म का औसत वार्षिक वित्तीय कारोबार कम-से-कम 50,00,000/- रूपये (पचास लाख रूपये मात्र) होना चाहिए।
6. 50/- रूपये के ग़ैर-न्यायिक स्टाम्प पेपर पर एक एफिडेविट, जिसमें यह निर्दिष्ट हो कि “किसी भी स्तर पर यदि यह पाया जाता है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज़ों में किसी भी प्रकार की

संदिग्धता है, तो उसके लिए हम लोग ज़िम्मेदार होंगे और इस कृत्य के लिए क़ानून सम्मत जो भी कार्रवाई होगी, उसके लिए उत्तरदायी होंगे।" (जमा किए गए सभी दस्तावेज़ों की सूची)

7. निविदा के साथ जमा किए जाने वाले सभी दस्तावेज़ों का सत्यापन राजपत्रित अधिकारी या सार्वजनिक उपक्रम / पीएसयू के किसी अधिकारी या उनके सीए / नोटरी पब्लिक द्वारा किया गया होना चाहिए।
8. निविदाकर्ता एक आत्म प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा, जिसमें वह यह प्रमाणित करेगा कि फ़र्म/कम्पनी/संस्थान को किसी भी सरकार/पीएसयू द्वारा कभी भी विवर्जित/काली सूची में सूचीबद्ध/पंच-निर्णय के लिए नहीं बुलाया गया है। यदि निविदाकर्त्ता ने भूत में कभी पंच-निर्णय की मांग की है तो विवरण प्रस्तुत करें।

इस नोटिस में दर्ज सभी शर्तों का अनुपालन करते हुए ही बोलीदाता को अपनी निविदा जमा करानी होगी, अन्यथा निविदा अस्वीकृत कर दी जाएगी। संगीत नाटक अकादेमी न्यूनतम बोली वाली निविदा स्वीकृत करने अथवा अपने निर्णय के पक्ष में कोई कारण देने के लिए बाध्य नहीं है। बोली के साथ इस निविदा दस्तावेज की एक प्रतिलिपि संलग्न होनी चाहिए, जिसके प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाताओं के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा विधिवत रूप में हस्ताक्षर और मुहर होने चाहिए तथा बाध्य रूप में, जो बोली दस्तावेज की शर्तों की स्वीकृति के चिह्न के रूप में दर्ज़ रहेगा। लिफाफा संख्या 1 (तकनीकी बोली) में अपेक्षित दस्तावेज़ यदि अपूर्ण पाए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में निविदा खारिज कर दी जाएगी, और निविदाकर्ता द्वारा जमा कराए गए लिफाफा संख्या 2, जिसमें कि वित्तीय बोली से सम्बंधित दस्तावेज़ होंगे, को नहीं खोला जाएगा।

निविदा दस्तावेज़ उप सचिव (प्रशासन), रवीन्द्र भवन, नई दिल्ली-110001 के कार्यालय में जमा कराना होगा। विज्ञापन जारी होने की तिथि से 30 (तीस) दिनों के भीतर निविदा दस्तावेज़ उप सचिव कार्यालय में जमा कराना अनिवार्य है। तीस दिनों के बाद कोई भी निविदा दस्तावेज़ अस्वीकार्य होंगे।

लिफाफा संख्या 2 -निर्धारित प्रारूप में वित्तीय बोली, जिसमें दरों की बोली होनी चाहिए।
लिफाफे में बड़े-बड़े और बोल्ड अक्षरों में वित्तीय बोली, एजेंसी का नाम आदि तथा अंतिम तिथि अंकित करना है। तत्पश्चात दोनों लिफाफों को एक अन्य बड़े लिफाफे में बंद कर, उस लिफाफे पर बड़े-बड़े तथा बोल्ड अक्षरों में एजेंसी का नाम तथा निविदा जमा करने की अंतिम तिथि लिखनी है।

विशेष टिप्पणीः तकनीकी बोली हेतु जमा दस्तावेज़ों में गाड़ियों के तमाम विवरण दर्ज होने चाहिए। निविदाकर्त्ताओं को यह सलाह दी जाती है कि वे हमारी निविदा में उल्लिखित विनिर्देशों के अनुसार ही मूल्य बताएँ। हालांकि, बोलीदाता चाहें तो विकल्प के रूप में तकनीकी बोली के साथ अलग से अपनी तकनीकी विशेषताओं के साथ अपने सुझाव दे सकते हैं। ध्यान रहे कि वित्तीय बोली तभी खोली जाएगी, जब तकनीकी बोली सभी तरह से संतोषजनक पाई जाएगी।

नियम एवं शर्तें

भाड़े पर वाहन उपलब्ध कराने हेतु।

1. अनुबंध एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा तथा सेवाएँ संतोषजनक रहने की स्थिति में वार्षिक आधार पर नवीकरणीय होगा।
2. **बयाना राशि**
   i. बोली के लिए निविदा प्रस्तुत करने वाले पक्षों/व्यक्तियों को बयाना राशि (ईएमडी) के रूप में 25,000/- रूपये (पचीस हजार रूपये मात्र) का डिमांड ड्राफ्ट, जो कि सचिव, संगीत नाटक अकादेमी, नई दिल्ली के नाम देय होगा, जमा कराना होगा; असफल निविदाकर्त्ताओं के मामले में, प्राप्त बयाना राशि तुरंत अथवा अनुबंध को अंतिम रूप देने के पश्चात लौटा दी जाएगी। सफल बोलीदाताओं की बयाना राशि को सुरक्षा निधि में समायोजित कर दिया जाएगा, जो कि अनुमानित वार्षिक लागत का 5% है।
   ii. बयाना राशि–डिमांड ड्राफ्ट (मांग पत्र), सावधि जमा रसीद, बैंकर चेक या किसी भी व्यवसायिक बैंक की बैंक गारंटी जो कि स्वीकार्य हो, और सभी प्रकार से खरीदार के हित की रक्षा करता हो–आदि रूपों में स्वीकार किए जा सकते हैं।
   iii. बयाना राशि अंतिम बोली अवधि की वैध्यता से परे, 45 दिनों तक वैध रहेगी।
   iv. असफल निविदाकर्त्ताओं के मामले में, प्राप्त बयाना राशि अंतिम बोली की वैधता समाप्त होने से पूर्व तथा अनुबंध को अंतिम रूप देने के 30 दिनों के भीतर लौटा दी जाएगी।

3. **कार्य निष्पादन प्रतिभूति**
   i. अनुबंध में निर्धारित कार्य-दायित्वों के भलीभांति निर्वहण हेतु, सफल बोलीदाता, जिन्हें वाहन आपूर्ति का ठेका दिया जाएगा, से कार्य-निष्पादन प्रतिभूति ली जाएगी। प्रत्येक सफल बोलीदाता से कार्य-निष्पादन प्रतिभूति ली जाएगी। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति ठेके के कुल मूल्य का 5 से 10 प्रतिशत होना चाहिए। कार्य-निष्पादन प्रतिभूति डिमांड ड्राफ्ट (मांग पत्र), किसी व्यवसायिक बैंक की सावधि जमा रसीद, जिससे खरीदार के हित पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ता हो, के रूप में स्वीकार्य होगी।
   ii. अनुबंधित कम्पनी/एजेंसी को ठेके पर दिए गए तमाम कार्य-दायित्वों के निर्वहण, जिसमें ज़मानती दायित्व भी सम्मिलित है, के पश्चात भी 60 दिनों तक कार्य-निष्पादन प्रतिभूति वैध रहेगी।
   iii. सफल बोलीदाता की बयाना राशि, कार्य-निष्पादन प्रतिभूति की प्राप्ति पर प्रत्यर्पणीय होगी।
4. वाहनों के रख-रखाव, मोटरपार्ट्स, गाड़ी की सर्विसिंग, ईंधन खर्च, बीमा आदि की पूरी ज़िम्मेदारी सेवा-प्रदाता एजेंसी की होगी तथा एजेंसी से भाड़े पर ली गई गाड़ी के साथ किसी भी प्रकार की प्रतिकूल घटना/दुर्घटना के लिए संगीत नाटक अकादेमी उत्तरदायी नहीं होगी।

5. ठेका सबसे कम बोली वाले बोलीदाता को दी जाएगी, जो कि उत्तरदायित्वपूर्ण पाया जाएगा और जो अनुबंध के नियम एवं शर्तों को न केवल पूर्ण करता हो, बल्कि उन सभी कसौटियों पर बिल्कुल खरा उतरता हो। ऐसी स्थिति में जब कि एल-1 इस स्थिति में न हो कि वह आवश्यकता के अनुरूप गाड़ी उपलब्ध नहीं करा पाता है, तो जो शेष गाड़ियाँ बचती हैं, वह दूसरे उच्च बोलीदाता से, निम्म बोलीदाता की दर पर किराए पर ली जाएँगी।
6. कोई भी निविदकर्त्ता, चाहे वह व्यक्ति हो या कोई फर्म, यदि उसका कोई सम्बंधी या निकट सम्बंधी संगीत नाटक आकादेमी या इससे सम्बद्ध संस्थानों में कार्यरत है, तो ऐसा व्यक्ति या फ़र्म संगीत नाटक अकादेमी के साथ इस प्रकार के किसी भी अनुबंध हेतु पात्र नहीं होगा।
7. कोई व्यक्ति जो सरकारी नौकरी में हो/अर्द्ध सरकारी तथा स्वायत्त निकायों में कार्यरत् हो, वह इस प्रकार के किसी भी अनुबंध हेतु पात्रता नहीं रखता।
8. यदि अनुबंधित व्यक्ति या फ़र्म द्वारा निष्पादित कार्य अथवा आपूर्ति की गई सामग्री असंतोषजनक पाई जाती है तो बिना किसी पूर्व सूचना के ठेका रद्द करने का अधिकार संगीत नाटक अकादेमी को होगा।
9. बिना कोई कारण बताए किसी भी निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का पूर्ण अधिकार संगीत नाटक अकादेमी को होगा। इस सन्दर्भ में अकादेमी का फैसला ही अंतिम होगा तथा इस सन्दर्भ में किसी भी प्रकार का पत्राचार विचारनीय नहीं होगा।
10. फ़र्म को वीएट विभाग/सेवा कर विभाग के शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट या ऐसे किसी अन्य क़ानून के तहत पंजीकृत होना चाहिए।
11. गाड़ी के एल-1 तक आने, गैराज से कार्यालय तथा कार्यालय से गैराज तक का शून्य माइलेज भी योज्य होगा।
12. अकादेमी की तरफ से किसी भी कार्य के लिए कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।
13. अकादेमी के सम्बंधित अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित चालान के साथ बिलों को 15 दिनों के अंदर जमा कराना अनिवार्य होगा।
14. अकादेमी द्वारा दिए गए कार्य-दायित्व को कम-से-कम समय के नोटिस पर भी क्रियान्वित करना होगा।
15. ऐसी स्थिति में, किसी भी स्तर पर, अगर यह पाया जाता है कि ठेकेदार (ठेकेदारों) द्वारा किया गया कार्य संतोषजनक तथा आयोजन/कार्यक्रम/गतिविधि आदि के स्तर का नहीं है, तो कार्य के लिए कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा। और यह भी कि यदि किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि अतीत में किसी कार्य हेतु अधिक भुगतान किया गया है, तो वह अतिरिक्त भुगतान की गई राशि वर्तमान बिल में से काट ली जाएगी। सौंपे गए कार्य का अनुपालन नहीं करने की स्थिति में ठेकेदार की सुरक्षा निधि जब्त कर ली जाएगी और उस ठेकेदार को अकादेमी की काली-सूची में डाल दिया जाएगा।
16. अगर ठेकेदार दिए गए कार्य, चाहे वह कितने ही कम समय में क्यों न सौंपी गई हो, के त्वरित निष्पादन में असफल रहता है, तो अकादेमी को यह आज़ादी होगी कि वह ठेकेदार के जोखिम और खर्च पर किसी बाहरी व्यक्ति अथवा संस्था से अपना कार्य-निष्पादन करवा ले। इस पर आने

वाला अतिरिक्त खर्च ठेकेदार के बिल से काट लिया जाएगा। जैसे कि, नियम और शर्तें मानने के बाद, किसी भी दायित्व (पूर्णतः या अंशतः) का निर्वहण करने के दौरान यदि ठेकेदार (ठेकेदारों) की अक्षमता के कारण व्यवधान आता है, तो यह माना जाएगा कि ठेकेदार (ठेकेदारों) ने काम के लिए दिए गए आदेश की अवज्ञा की है।

17. नियम के मुताबिक बिल भुगतान के समय आयकर की राशि बिल से काट ली जाएगी, पैन नंबर आवश्यक है।
18. वैसे ही फ़र्म और एजेंसियाँ आवेदन करें, जिनके पास अपनी नई अत्याधुनिक गाड़ियाँ हों।
19. टेंडर दस्तावेज़ के प्रत्येक पृष्ठ पर टेंडरकर्त्ता का हस्ताक्षर तथा फर्म/एजेंसी का मुहर ज़रूर लगा होना चाहिए।

प्रमाणित किया जाता है कि मैं/हमलोगों ने नियमों एवं शर्तों को अच्छी तरह से पढ़ तथा समझ लिया है तथा मैं/हमलोग ऊपर उल्लेखित सभी नियमों एवं शर्तों को स्वीकार करते हैं।

प्रोपराईटर/अधिकृत व्यक्ति का हस्ताक्षर
एवं मुहर तथा तिथि

<u>भाड़े पर वाहन हेतु प्रारूप</u>

क्र. सं.	वाहन का नाम	वाहन का विवरण	दर
1.	इंडिगो/एस्टीम/इंडिका (वातानुकूलित)	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
2.	इंडिगो/एस्टीम/इंडिका	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	

	(साधारण)	40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
3.	इनोवा/स्कार्पियो/ज़ायलो/ब्रेजा (वातानुकूलित)	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
4.	इनोवा/स्कार्पियो/ज़ायलो/ब्रेजा (साधारण)	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
5.	स्विफ्ट डिज़ायर (वातानुकूलित)	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	

		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
6.	स्विफ्ट डिज़ायर (साधारण)	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
7.	टेम्पो ट्रेवलर (वातानुकूलित)	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
8.	टेम्पो ट्रेवलर (साधारण)	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	

09.	बस (35 सीट) वातानुकूलित	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
10.	बस (35 सीट) साधारण	80 किमी और 08 घंटे (स्थानीय)	
		40 किमी और 04 घंटे (स्थानीय)	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
11.	स्विफ्ट डिज़ायर/ब्रेजा	2400 किमी और 10 घंटे	
		अतिरिक्त किमी का भाड़ा	
		अतिरिक्त घंटे का भाड़ा	
		दिल्ली से बाहर जाने का व्यय-शुल्क	
12.	रात्रि भाड़ा (समय के साथ)		

*उपरोक्त के अतिरिक्त, नवीनतम वाहन के किराए को भी कोटेशन में शामिल करें।

*टॉल-शुल्क तथा पार्किंग शुल्क का भुगतान तभी किया जाएगा, जब उसका रसीद जमा कराया जाएगा।